



माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय  
(मध्यप्रदेश विधानसभा के अधिनियम क्रमांक 15, 1990 द्वारा स्थापित)  
MAKHANLAL CHATURVEDI NATIONAL UNIVERSITY OF JOURNALISM & COMMUNICATION  
(Setup by Act No. 15, 1990 of M.P. Legislative Assembly)

सं.अ.सं./क्रमांक/256/2026

दिनांक 01/07/2026


**सूचना**

विश्वविद्यालय की समस्त संबद्ध अध्ययन संस्थाओं को सूचित किया जाता है कि शैक्षणिक सत्र 2026-27 हेतु नवीनीकरण शुल्क (जी.एस.टी. सहित) जमा करने के लिए एम.पी. ऑनलाईन पोर्टल दिनांक 01 जून 2026 से 30 जून 2026 तक खुला रहा। निर्धारित अवधि के पश्चात किन्हीं कारणों से जिन संस्थाओं द्वारा नवीनीकरण शुल्क जमा नहीं किया जा सका है, उन्हें विलंब शुल्क सहित अंतिम अवसर प्रदान करते हुए एमपीऑनलाईन पोर्टल निम्नानुसार पुनः लिंक ओपन की जा रही है।

1. दिनांक 01 जुलाई 2026 से 15 जुलाई 2026 तक – ₹500/- (रुपये पाँच सौ मात्र) विलंब शुल्क सहित।
2. दिनांक 16 जुलाई 2026 से 30 जुलाई 2026 तक – ₹1000/- (रुपये एक हजार मात्र) विलंब शुल्क सहित।
3. दिनांक 31 जुलाई 2026 से 14 अगस्त 2026 तक – ₹2000/- (रुपये दो हजार मात्र) विलंब शुल्क सहित।

अतः समस्त संबद्ध अध्ययन संस्थाएँ सुनिश्चित करें कि वे निर्धारित तिथि तक अपना नवीनीकरण शुल्क नियमानुसार जमा करें। संस्था अपना नवीनीकरण प्रमाण-पत्र ऑनलाईन शुल्क जमा करने के पश्चात एमपीऑनलाईन के लॉगिन से डाउनलोड कर सकते हैं।

नियत तिथि के पश्चात नवीनीकरण शुल्क जमा नहीं करने की स्थिति में संबंधित संस्था के विरुद्ध विश्वविद्यालय विनियम क्रमांक 18/2008 के अंतर्गत आवश्यक विधिक कार्यवाही की जाएगी।



(डॉ. आशीष जोशी)  
निदेशक  
(संबद्ध अध्ययन संस्थाएँ)

सं.अ.सं./क्रमांक/257/2026

दिनांक 01/07/2026

प्रतिलिपि :

1. निज सचिव कुलगुरु, कुलसचिव की ओर सूचनार्थ।
2. वेब मास्टर, विश्वविद्यालय की ओर वेबसाइट पर प्रदर्शित करने हेतु प्रेषित।
3. प्रबंधक, एम.पी. ऑनलाईन को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।



(डॉ. आशीष जोशी)  
निदेशक  
(संबद्ध अध्ययन संस्थाएँ)